| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मुन्तकिली / टी.ए. / 5573 / 2025 / सीकर**<br>**नरेन्द्रसिंह बनाम अनिल महला, एस0ओ0 कम आर.ए.ए.** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

## एकल–पीठ
## श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित –
(1) श्री सी0पी0 पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री हरदत्त सहारण, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

## निर्णय

**दिनांकः–21.11.2025**

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 233 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में विचाराधीन अपील सं0 172/2023 बउनवानी हरलाल बनाम नरेन्द्र को अपीलीय न्यायालय से अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस में तर्क दिये है कि पीठासीन अधिकारी, सीकर लम्बे समय तक सब रजिस्ट्रार, सीकर के पद पर रहे हैं तथा अप्रार्थी सं0 2 भू–कारोबारी है। अप्रार्थी सं0 2 के पीठासीन अधिकारी से अच्छे संबंध हैं। इसलिए पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। विपक्षी राजनैतिक रसूखात वाला प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके द्वारा पीठासीन अधिकारी पर दबाव डाल रखा है। पीठासीन अधिकारी अपने चैम्बर से कोर्ट कक्ष के लिए निकले तो प्रार्थी द्वारा यह देखा गया कि उनके साथ उनके चैम्बर से अप्रार्थी सं0 2 भी बाहर आ रहा है तब प्रार्थी को स्पष्ट आभास हो गया कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे। प्रार्थी का प्रकरण विभाजन का है जिसमें

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मुन्तकिली / टी.ए. / 5573 / 2025 / सीकर**<br>**नरेन्द्रसिंह बनाम अनिल महला, एस0ओ0 कम आर.ए.ए.** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | तहत न्यायालय द्वारा विधिवत् विभाजन की डिक्री पारित की जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 2 येन–केन–प्रकारेण विभाजन नहीं होने देना चाह कर प्रकरण में देरी करना चाहते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष रूचि लेकर कार्य किया जा रहा है।<br>अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर में विचाराधीन अपील सं0 172/2023 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।<br>4– प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी मंगवायी जाने पर उनके द्वारा पैरा वाईज टिप्पणी पत्र क्रमांक 5259 दिनांक 11–07–2025 से प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण बहस में विचाराधीन है। प्रार्थी के सभी तथ्य मनगढन्त एवं परिकल्पना पर आधारित हैं। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है फिर भी यदि पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।<br>5– अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संतोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो प्रकरण को मुन्तकिल नहीं करना चाहिये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।<br>6– हमने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन व परिशीलन किया।<br>7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मुन्तकिली / टी.ए. / 5573 / 2025 / सीकर**<br>**नरेन्द्रसिंह बनाम अनिल महला, एस0ओ0 कम आर.ए.ए.** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष विचाराधीन अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसे किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।<br>8– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं वो मनगढंत व मिथ्या हैं। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है जो उसके कथनों को प्रमाणित करते हों।<br>9– मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 233 के तहत प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न न्याय दृष्टान्तों यथा न्याय दृष्टान्त 1972 आर0आर0डी0 पेज 70 में निम्न मत अभिनिर्धारित किया गया है किः–<br>**"Held, not sufficient Ground-What is sufficient cause warranting transfer is a matter to be considered and decided on merits of each case. But mere fact of giving short adjournments or sadling a party with costs or that a particular person not connected with the case was found attending the Court especially when that particular case was heard cannot constitute sufficient cause for invoking' power under, the Section."**<br>राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा भी न्याय दृष्टान्त 1994 आर0आर0डी0 पेज 117 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि :–<br>**"Transfer of a case from a competent Court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मुन्तकिली / टी.ए. / 5573 / 2025 / सीकर<br>नरेन्द्रसिंह बनाम अनिल महला, एस0ओ0 कम आर.ए.ए. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **Presiding Officer. It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a reasonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding Officer. Mere making any observation by the Presiding Officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of the appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case. ....."**<br>2003 आर0आर0डी0 पेज 229 में प्रतिपादित किया गया है किः–<br>**''न्याय प्रशासन का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये। यदि किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर किसी पीठासीन अधिकारी के निरपेक्ष होने के बारे में शंका उत्पन्न हो जाये तो ऐसे प्रकरण को दूसरे पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है परन्तु इसी के साथ–साथ निर्धारित न्याय प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने का भी न्याय प्रशासन का अहम कर्त्तव्य है। इस परिप्रेक्ष्य में किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्याय प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करे।''** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मुन्तकिली / टी.ए. / 5573 / 2025 / सीकर**<br>**नरेन्द्रसिंह बनाम अनिल महला, एस0ओ0 कम आर.ए.ए.** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के संबंध में 2006–07 आर. आर.टी. पेज 435 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **''फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा होता है। इस प्रकार प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने से पीठासीन अधिकारी के मनोबल व विश्वसनीयता में भी बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करके न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह भी देखा जाना चाहिए कि न्यायिक प्रावधानों का abuse of the process of law नहीं हो।''**

10– ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना गुणावगुण पर न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं होने से न्यायहित में खारिज किये जाने योग्य है।

11– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

12– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(गौरव बजाड़)**
**सदस्य**